न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 61/20 GCMS NO 2020/00132

नानगी पत्नि मंगू जाति कोली निवासी मेहमदपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. कुन्दन
2. गिरवर पिसरान लालचंद जाति चमार निवासी लोगटपुर तहसील करौली
3. श्रीमती रामपति पत्नि रामभरोसी जाति धोबी निवासी पुलिस लाईन के पीछे करौली जिला करौली
4. तहसीलदार करौली तहसील करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 569/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.8.2020 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्यामबाबू शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 3 श्री रामगोपाल

दिनांक 09.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 10.8.2020 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र दावा घोषणा खातेदारी स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि ख0न0 148/5 रकबा 15 बीघा ग्राम आनन्दगढ तहसील करौली मे स्थित है। जिसे वादीयां द्वारा दिनांक 1.1.1993 को 60000/–रूपये नकद देकर लालचंद पुत्र बीरवल जाटव निवासी लोगटपुर से खरीद किया है। जो कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पिता था जो फौत हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से साज करके राजस्व रिकार्ड लालचंद के स्थान पर अपना नाम गलत दर्ज करा लिया गया। भूमि पर वादिया का सन 1993 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। मौके पर बाजरे की फसल खडी है। दिनांक 10.10.06 को प्रतिवादीगण हाथो मे लठठ लेकर उक्त जमीन पर आ गये और जमीन पर काश्त करने की मना करने लगे तथा धमकी दी गई। वादिया ने समझाया कि तुम्हारे पिता ने जरिये एग्रीमेंट जमीन को विक्रय कर दिया है। जिस पर प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा मौके से जबरन बेदखल करने की धमकी दी गई। इस प्रकार वादियां एग्रीमेंट के आधार पर घोषणा खातेदारी एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की अधिकारी है। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से अपीलांट/वादियां द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ द्वारा वादियां/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट वादि द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:12:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व होने से खारिज योग्य है। आराजी ख0न0 148/5 रकबा 15 बीघा ग्राम आनन्दगढ तहसील करौली मे स्थित है। जिसे अपीलांट/वादीयां द्वारा दिनांक 1.1.1993 को 60000/–रूपये नकद देकर लालचंद पुत्र बीरवल जाटव निवासी लोगटपुर से खरीद किया है। जो कि रेस्पो0/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का पिता था जो फौत हो चुका है। रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पटवारी हल्का से साज करके राजस्व रिकार्ड लालचंद के स्थान पर अपना नाम गलत दर्ज करा लिया गया। भूमि पर अपीलांट/वादिया का सन 1993 से लगातार कब्जा चला आ रहा है। उक्त आराजीयात अपीलांट की खरीदशुदा आराजीयात है। जिसमे से जबरन रेस्पो0 बेदखल करना चाहते है। अपीलांट की सन 1993 से लगातार काश्त चली आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा दावा घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था। जिसको अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 मे अपीलांट का कब्जा माना है किन्तु खातेदारी नही होने के कारण तनकी अपीलांट के विरूद्व मानी गई है। जबकि जब कब्जा माना गया है तो रेस्पो0 को पाबन्द किया जाना था। रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा उक्त आराजीयात का कोई भी रजिस्टर्ड बयनामा अपने जबाब के साथ पेश नही किया है नां ही जबाब के बाद स्वयं हाजिर हुई ना ही साक्ष्य सबूत कब्जे के बाबत पेश किये है। प्रतिवादी न0 3 रामपति के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही करने के बाबजूद भी तनकी को निर्णय करने मे कानूनी भूल की है। दावे सम्पर्ण तनकी अपीलांट के पक्ष मे साबित है कब्जे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट को खातेदार घोषित करना चाहिए था तथा रेस्पो0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर अपीलांट के कब्जे काश्त मे रूकावट नही करने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए था। अपीलांट द्वारा सबूत मे जमाबंदी सम्वत 2061 से 2064 तक पेश की है व रेस्पो0 के पिता द्वारा किया गया एग्रीमेंट भी पेश किया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी समय पर इसलिए नही हो पाई क्योकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने की कोई तारीख पेशी नियत नही की गई थी। इस प्रकार जानकारी के कारण अपीलांट की अपील अन्दर मियाद पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि वादग्रस्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा से रेस्पो0 संख्या 3 द्वारा खरीद की गई है। खरीद समय से ही रेस्पो0 का कब्जा चला आ रहा है। यदि वादिया/अपीलांट का भूमि पर कब्जा नही रहा है। यदि वादी/अपीलांट ने भूमि 1993 मे खरीद की है तो 14 वर्ष मे ब[illegible] नही कराया गया । अपीलांट/वादी द्वारा केवल मात्र भूमि को हडपने [illegible] मे वाद पत्र पेश किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:12:03 IST
Reason: SelfAttested

था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे मे तनकीयाता कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन कर तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही एग्रीमेंट के आधार पर खातेदारी नही किये जाने से ही अपीलांट/वादी का वाद पत्र विधि के अनुरूप ही खारिज किया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादीगण/अपीलांट दिनांक 1.1.1993 के एग्रीमेंट के आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय मे खातेदारी घोषणा का वाद पेश किया गया था तथा दिनांक 10.10.06 को वाद कारण उत्पन्न होने से ही प्रतिवादी/रेस्पो0 को पाबन्द कराने की प्रार्थना की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावे मे तनकीयात कायम की गई। कायम तनकीयात को वादी/अपीलांट एवं प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्व निर्णित की जाकर वादी/अपीलांट का वाद पत्र विधि के अनुरूप ही खारिज किया गया है। चूकिः अपीलांट भूमि पर खातेदारी की घोषणा एग्रीमेंट के आधार पर चाहता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न एग्रीमेंट दिनांक 1.1.1993 प्रदर्श 2 अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है। इस प्रकार एग्रीमेंट के आधार पर खातेदारी दिये जाने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। अतः अपींलाट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 569/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.8.20 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:12:03 IST
Reason: SelfAttested